न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–447/17 रा0वाद

अनवान

श्री करणसिंह पिता श्री भैरूंसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

---वादी।

बनाम

1–लच्छू गुर्जर पुत्र श्री तुलछा गुर्जर निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

--प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1–शरद कुमार पालीवाल	अधिवक्ता वादी
2–भागू लाल गुर्जर	अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1
2–पेरोकार सरकार	अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0का0अधिनियम बावत कब्जा दिलाये जाने हेतु

निर्णय . दिनांक 14.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम बावत कब्जा दिलाये जाने हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रतिवादगण को वजह जाहिर किये जाने व सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन बाद तामील शामिल मिसल किये गये। नियत पेशी दिनांक को वादी उपस्थित आया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित आये जिनके द्वारा अधिकार पत्र पेश किये जाने पर शामिल मिसल किया गया तथा जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर प्रदान किया जाकर अग्रिम नियत पेशी दिनांक 14.05.2018 को प्रतिवादी सं.1 द्वारा जवाबदावा तथा प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प थाणा पर प्रस्तुत हुई। प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम थाणा पटवार मण्डल थाणा तहसील करेडा स्थित आ0नं0 2041 रकबा 1.15 बीघा भूमि वादी के हक अधिकार से दर्ज रेकार्ड उसके आधिपत्य में चली आ रही है।उपरोक्त वादग्रस्त 1.18 बीघा की पत्थरगढी कराने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 564/2016 निर्णय दिनांक 12.11.2016 वादी द्वारा दर्ज कराये जाने से मुताबिक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी के आदेश प्रसारित किये गये जिसकी अनुपालना में 03.05.17 को संबंधित गिरदावर एवं हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पत्थरगढी किये जाने पर वादग्रस्त 1.18 बीघा के पूर्व दिशा की तरफ 0.01 बिस्वा पर प्रतिवादी सं. 1 लच्छू गुर्जर का अवैध कब्जा पाया गया जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त 0.01 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के अवैध कब्जे से छुड़वाई जाकर पुनः वादी को संभलाये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा

वादी के कथन के विपरीत प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निवेदन किया गया कि उसके द्वारा 0.01 बीघा का अवैध कब्जा अस्वीकार है। यह मेरी स्वयं की बापोती भूमि है। वादी द्वारा वादपत्र प्रतिवादी की भूमि को हडपने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 3 अर्थात् राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 03.05.2017 को संपादित पत्थरगढी का पर्चा मौका सही होना स्वीकार किया गया है एवं वादी द्वारा न्यायालय से मांगा गया अनुतोष उचित बताया गया है।

Scanned by CamScanner

मैने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा पर्चा मौका दिनांक 03.05.2017 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादग्रस्त 1.18 बीघा भूमि मे से पूर्व दिशा की ओर 0.01 बीघा भूमि पर जो वादी के खातेदारी अधिकार की है पर अनाधिकृत एवं अवैध कब्जा किया हुआ है जिसका प्रतिवादी सं0 1 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को सिद्ध कराने में वादी सफल रहा है। अतः वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है।

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 स्वीकार किये जाने से ग्राम थाणा पटवार मण्डल थाणा तहसील करेड़ा स्थित वादग्रस्त आराजी नंबर 2041 रकबा 1.18 बीघा के पूर्व दिशा की तरफ 0.01 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर पुनः वादी को संभलाया जावे। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

<u>डिक्री</u>

(आदेश 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

<u>अनवान</u>

श्री करणसिंह पिता श्री भैरूंसिंह राजपूत निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---वादी।

बनाम

1–लच्छू गुर्जर पुत्र श्री तुलछा गुर्जर निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 मुकदमा नं. 447 / 17 निर्णय दिनांक 14.05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री शरद कुमार पालीवाल मिनजानिब मुददई व प्रतिवादी संख्या 1 श्री भागु लाल गुर्जर तथा पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम थाणा पटवार मण्डल थाणा तहसील करेड़ा स्थित वादग्रस्त आराजी नंबर 2041 रकबा 1.18 बीघा के पूर्व दिशा की तरफ 0.01 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर पुनः वादी को संभलाया जावे बाबत डिकी प्रदान की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करें।

आज तारीख 14.05.2018 को डिकी मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner